

प्रेषक,  
डॉ० रणवीर सिंह,  
अपर मुख्य सचिव  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,  
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड  
हल्द्वानी-नैनीताल।

2. निदेशक,  
जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड  
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग-04

देहरादून दिनांक 17 अक्टूबर, 2017

विषय-समाज कल्याण विभाग एवं जनजाति कल्याण विभाग द्वारा दी जारी छात्रवृत्ति के वितरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-165/XVII-4/2017-01(82)/2014 दिनांक 03.05.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के सत्यापन हेतु कतिपय दिशा-निर्देश दिये गये हैं। अतः उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि छात्रवृत्ति वितरण में उत्पन्न कठिनाई पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 03.05.2017 के बिन्दु संख्या-06 एवं 11 में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है, जो निम्नवत रहेगा-

2. बिन्दु संख्या-6 निम्नलिखित अंश विलोपित समझा जाय:-

"इसमें छात्रवृत्ति का भुगतान उपरोक्त प्रमाण पत्र के आधार पर ही किया जाएगा। उपरोक्त प्रमाण पत्र के अभाव में छात्रवृत्ति वितरित नहीं की जाएगी।"

3. बिन्दु संख्या-11 में शब्द "बायोमैट्रिक" विलोपित समझा जाय।

4. स्पष्ट किया जाता है कि छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु बायोमैट्रिक उपस्थिति तथा जिलाधिकारी द्वारा दिया जाने वाला भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं होंगे। किन्तु यदि सत्यापन में कोई गड़बड़ी सामने आती है तो नियमानुसार कठोर कार्यवाही संबंधित के विरुद्ध अमल में लाई जाय।

उपर्युक्तानुसार उक्त शासनादेश यथा संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

17/10/2017  
(डॉ० रणवीर सिंह)  
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- /XVII-4/2017-01(82)/2014, तददिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा० मंत्री समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
5. निदेशक, एन०आई०सी०, देहरादून।
6. नोडल अधिकारी, आई०टी० प्रकाष्ठ, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

निदेशक आ. कारी  
पत्र प्राप्त दिनांक.....  
एव पत्रांक संख्या.....  
हस्ताक्षर.....

18-10-2017

1783

5

आज्ञा से  
(डॉ० राम बिलास यादव)  
अपर सचिव।